न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (बसिया)

आदेश

वाद सं0 37/2018
धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – प्रभा देवी वगै0 ....
बनाम
द्वितीय पक्ष – बुधदेव राम वगै0 ....

आदेश की क्र0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	अभिलेख उपस्थापित :– थाना कामडारा के अप्राथमिकी संख्या 06/2018 दिनांक 03.07.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष–** (1) प्रभा देवी उम्र 42 पति– स्व0 नन्दकिशोर राम (2) सुमती देवी उम्र 41 वर्ष पति– रोहित राम (3) सुगन्ती देवी उम्र 35 वर्ष पिता– स्व0 अगस्त राम (4) कृष्णा राम उम्र 40 वर्ष पिता– स्व0 एतवा राम (5) मुक्तेश्वर राम उम्र 38 वर्ष पिता– स्व0 शंकर राम (6) छक्कर राम उम्र 35 वर्ष पिता– शंकर राम सभी सा0 कामडारा, हरिजन टोली थाना– कामडारा जिला–गुमला **द्वितीय पक्ष–** बुधदेव राम उम्र 42 वर्ष पिता– स्व0 लक्ष्मण राम (2) सचिन मांझी उम्र 20 वर्ष (3) अनिकेत मांझी उम्र 18 वर्ष दोनों के पिता– बुधदेव राम (4) सावित्री देवी उम्र 26 वर्ष पति– बुधदेव राम सभी सा0– कामडारा, हरिजन टोली थाना– कामडारा जिला– गुमला के बीच मकान बनाने को लेकर उत्पन्न विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को लेकर वाद लाया गया था। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद की कार्रवाई अवधि में उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार की शांति भंग एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त वाद की कार्रवाई अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद नहीं होने के कारण आज दिनांक 24/9/2024 को उक्त वाद के अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। 24/9/24 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला) 24/9/24 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)	

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.26 16:07:30 +05:30
Location: 192.168.1.4